भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

सार्वजनिक सूचना

सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0–पूर्व, वाराणसी की स्वीकृति के क्रम में जन साधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में रा0रा0–232 (नया रा0रा0–128) के टांडा–रायबरेली खण्ड के किमी 0.000 से किमी 65.720 एवं रा0रा0–96 (नया रा0रा0–330) के किमी 0.000 से किमी 13.100 तक का दो–लेन पेव्ड शोल्डर्स सहित प्रोजेक्ट के लिये पीढी फी प्लाजा किमी 51.150 हेतु निम्नलिखित संशोधित यूजर शुल्क को **03.06.2024 (00:00 घण्टे) से 31.03.2025** तक टोल फी नियम 2008 के अनुपालन में लिया जायेगा।

पीढी फी प्लाजा, किमी 51.150 (जिला सुल्तानपुर) पर दरें:

वाहन का प्रकार	सिंगल यात्रा की फीस दर (रु0 में)	रिटर्न यात्रा एक दिन में की फीस दर (रु0 में)	मासिक पास 50 सिंगल यात्राओं के लिये एक माह हेतु फीस दर (रु0 में)	कामर्शियल वाहनों जो कि टोल प्लाजा जनपद के भीतर पंजीकृत हो एकल यात्रा हेतु फीस दर (रु0 में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	80	120	2705	40
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	130	195	4365	65
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	275	410	9150	135
तीन–धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	300	450	9980	150
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहु धुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	430	645	14350	215
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	525	785	17470	260

वर्ष 2024–25 के लिये उपरोक्त फी प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के भीतर आने वाले स्थानीय गैर–वाणिज्यिक वाहनों के लिये मासिक पास की दरें रु0 340.00 होंगी।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली, फोन: 0535–2975212 ई–मेल pdpiuraebareilly@nhai.org

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

सार्वजनिक सूचना

सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0–पूर्व, वाराणसी की स्वीकृति के क्रम में जन साधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि उत्तर प्रदेश राज्य में रा0रा0–232 के रायबरेली–बांदा खण्ड के किमी 211.837 से किमी 285.818 के लिये जिन्दपुर फी प्लाजा किमी 229.006 पर वाहनों से निम्नलिखित संशोधित यूजर शुल्क को **03.06.2024 (00:00 घण्टे) से 31.03.2025** तक टोल फी नियम 2008 के अनुपालन में लिया जायेगा।

फतेहपुर जिले में ग्राम जिन्दपुर के नजदीक किमी. 229.006 पर अवस्थित फी प्लाजा की संशोधित दरें:

वाहन का प्रकार	सिंगल यात्रा की फीस दर (रु0 में)	रिटर्न यात्रा एक दिन में की फीस दर (रु0 में)	मासिक पास 50 सिंगल यात्राओं के लिये एक माह हेतु फीस दर (रु0 में)	कामर्शियल वाहनों जो कि टोल प्लाजा जनपद के भीतर पंजीकृत हो एकल यात्रा हेतु फीस दर (रु0 में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	60	95	2065	30
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	100	150	3330	50
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	210	315	6980	105
तीन–धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	230	345	7615	115
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहु धुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	330	495	10950	165
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	400	600	13330	200

वर्ष 2024–25 के लिये उपरोक्त फी प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के भीतर आने वाले स्थानीय गैर–वाणिज्यिक वाहनों के लिये मासिक पास की दरें रु0 340.00 होंगी।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली, फोन: 0535–2975212 ई–मेल pdpiuraebareilly@nhai.org

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

सार्वजनिक सूचना

सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0–पूर्व, वाराणसी की स्वीकृति के क्रम में जन साधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि उत्तर प्रदेश राज्य में रा0रा0–232 के रायबरेली–बांदा खण्ड के किमी 152.533 से किमी 211.837 के लिये ऐहार फी प्लाजा किमी. 172.890 पर वाहनों से निम्नलिखित संशोधित यूजर शुल्क को **03.06.2024 (00:00 घण्टे) से 31.03.2025** तक टोल फी नियम 2008 के अनुपालन में लिया जायेगा।

रायबरेली जिले में ग्राम ऐहार के नजदीक किमी. 172.890 पर अवस्थित फी प्लाजा की संशोधित दरें:

वाहन का प्रकार	सिंगल यात्रा की फीस दर (रु0 में)	रिटर्न यात्रा एक दिन में की फीस दर (रु0 में)	मासिक पास 50 सिंगल यात्राओं के लिये एक माह हेतु फीस दर (रु0 में)	कामर्शियल वाहनों जो कि टोल प्लाजा जनपद के भीतर पंजीकृत हो एकल यात्रा हेतु फीस दर (रु0 में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	60	90	2035	30
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	100	150	3290	50
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	205	310	6895	105
तीन–धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	225	340	7520	115
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहु धुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	325	485	10810	160
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	395	590	13165	195

वर्ष 2024–25 के लिये उपरोक्त फी प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के भीतर आने वाले स्थानीय गैर–वाणिज्यिक वाहनों के लिये मासिक पास की दरें रु0 340.00 होंगी।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली, फोन: 0535–2975212 ई–मेल pdpiuraebareilly@nhai.org

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

सार्वजनिक सूचना

सक्षम प्राधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0–पूर्व, वाराणसी की स्वीकृति के क्रम में जन साधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में रा0रा0–232 (नया रा0रा0–128) के टांडा–रायबरेली खण्ड के किमी 65.720 से किमी 148.980 (83.26 किमी लम्बाई) तक का दो–लेन पेव्ड शोल्डर्स सहित प्रोजेक्ट के लिये एंधी फी प्लाजा किमी 113.255 हेतु निम्नलिखित संशोधित यूजर शुल्क को **03.06.2024 (00:00 घण्टे) से 31.03.2025** तक टोल फी नियम 2008 के अनुपालन में लिया जायेगा।

एंधी फी प्लाजा, किमी 113.255 (जिला अमेठी) पर दरें:

वाहन का प्रकार	सिंगल यात्रा की फीस दर (रु0 में)	रिटर्न यात्रा एक दिन में की फीस दर (रु0 में)	मासिक पास 50 सिंगल यात्राओं के लिये एक माह हेतु फीस दर (रु0 में)	कामर्शियल वाहनों जो कि टोल प्लाजा जनपद के भीतर पंजीकृत हो एकल यात्रा हेतु फीस दर (रु0 में)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	75	110	2475	35
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन अथवा मिनी बस	120	180	3995	60
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	250	375	8375	125
तीन–धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	275	410	9135	135
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहु धुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	395	590	13130	195
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	480	720	15985	240

वर्ष 2024–25 के लिये उपरोक्त फी प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के भीतर आने वाले स्थानीय गैर–वाणिज्यिक वाहनों के लिये मासिक पास की दरें रु0 340.00 होंगी।

परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली, फोन: 0535–2975212 ई–मेल pdpiuraebareilly@nhai.org

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी

CONCESSIONAIRE: PNC KANPUR HIGHWAYS LIMITED
PROMOTER: PNC INFRATECH LIMITED

PUBLIC NOTICE ON REVISED USER FEE (TOLL) RATES AT ALIYAPUR & KHANNA TOLL PLAZAS APPLICABLE FROM JUNE 03, 2024 AT 00.00 Hrs

The public are hereby informed that pursuant to approval of revised user fee rates vide letter dated 23.03.2024 and further subsequent directions issued vide letter dated 30.05.2024 of NHAI, the user fee rates for use of section from Km 00+000 to Km 123.863 (Kanpur-Kabrai Section) of NH-86 (New NH-34) are going to be revised w.e.f. 03.06.2024 at 00.00 Hrs.

Name of Toll Plaza	Aliyapur Toll Plaza; Situated at Km.43.500 on NH-86: (From Km.00.000 to Km.59.620)			Khanna Toll Plaza; Situated at Km.105.500 on NH-86: (From Km.59.620 to Km.123.863)		
Category of Vehicle	Fee for single Journey	Fee for return journey within a day	Fee for monthly pass valid for 50 journeys	Fee for single Journey	Fee for return journey within a day	Fee for monthly pass valid for 50 journeys
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	50	80	1750	55	85	1885
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	85	125	2825	90	135	3045
Bus or Truck (Two axle)	180	265	5920	190	285	6380
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (3 to 6 axle)	280	420	9280	300	450	10000
Oversized Vehicles (seven or more axles)	340	510	11300	365	550	12175

2. The above rates are applicable for a completed length of 123.863 Km, which comprises of 123.863 Km road length.
3. The following concessions are available at above toll plaza:
   (i) Return Journey within 24 hours from time of payment for all categories of vehicles (discount 50%)
   (ii) 50 or more single journeys in a month from date of payment for all categories of vehicles (discount 33%).
   (iii) Pass at Rs. 340/- per calendar month for non-commercial vehicle residing within 20 Km from Toll Plaza.
4. The list of exempted vehicles is as given in the Fee Notification dated 03.12.2010.
5. The vehicle, which is loaded in excess of permissible load, shall pay at the rate applicable to the next higher category of vehicles.
6. As per Concession Agreement dated 11.03.2011, the Concession Period ends on 20.01.2025.
7. For viewing the fee notification dated 24.09.2014 published in the Gazette, the website **http://nhaitis.org** may be visited.
8. Name and address are as under, for any enquiry and/ or giving complaints/ suggestions:

	Concessionare	Independent Engineer	PIU of NHAI
Name of Representative	Shri Anguluri Satyanarayana	Shri Umesh Kumar	Shri Aman Rohilla
Address:	M/s PNC Kanpur Highways Limited # B-1/514, Vardaan Khand, Sector-01, Gomti Nagar Extention, Lucknow-226010 (U.P.)	M/s MSV International, Inc. House No.221, Y-Block Beside RBI Colony, Kidwai Nagar, Kanpur-208011 (U.P.)	National Highways Authority of India, Project Implementation Unit -Kanpur, # 53, Basant Vihar, Naubasta, Kanpur-20801 (U.P.)
Mobile No. :	+91 8573003201	+91 7739763509	+91 9810866124

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय : 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई-600015
क्षेत्रीय कार्यालयः द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी/जी-2/2 एवं टीसी/जी-5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी-226010
आरएलएम–अरुण कुमार सिंह–9506011777, आरआरएम–पंकज सिंह चौधरी–7081828333, सीएलएम– राहुल सिंह, 9997535262, सीआरएम – दीपक कुमार–9839600666

ई-नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट-IV A) (नियम 8(6))

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एचएचएफएल) जिसका कॉर्पोरेट कॉर्या : 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600015 और शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी / जी–2 / 2 एवं टीसी / जी–5 / 5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010, को बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद 'अधिनियम') के तहत। जबकि एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों / संभाव्य सं. में निम्नलिखित संपत्ति को बेचने के अधिकार के साथ कब्जा कर लिया था। बकाया राशि की वसूली हेतु **'जैसा है, जहां है, जो कुछ भी है** के आधार पर बेचा जा रहा है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://bankauctions.in/.** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ई–नीलामी की तिथि/समयः 30.06.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 20.06.2024 को अपराह्न 05.00 बजे तक

सम्पत्ति का निरीक्षण की तिथि 15.06.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर(रों) का नाम/	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि और राशि	अचल सम्पत्तियां /प्रतिभूति आस्तियों का विवरण	कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य (आरपी) / जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरपी का 10 प्रतिशत / बोली वृद्धि राशि
1	ऋण खाता नं. UP/LKN/LUKN/A000001119 1. श्री विनय कुमार शुक्ला पत्नी अवधेश प्रसाद, निवासी–मौरावां रोड मोहनलालगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत – 226301 2. श्रीमती तृप्ति सिंह पत्नी विनय कुमार शुक्ला, फुलवरिया औतरौली लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत 227305	26/07/2023 रु. 26,97,988/- अतिरिक्त अतिदेय शुल्क और अतिरिक्त ब्याज के साथ; रु. 26,97,988/- दिनांक 26.07.2023 तक कुल बकाया राशि	खसरा नं. 477 के भाग पर निर्माणित मकान, ग्राम– गुडौरा, वार्ड राजा बिजली पासी, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ, उप–रजिस्ट्रार, सरोजिनी नगर, लखनऊ में स्थित, क्षेत्रफल 92.936 वर्ग मी., चौहदीः पूरब में – डीगर का प्लॉट, पश्चिम में – 20 फीट सड़क, उत्तर में – चंगालाल का प्लॉट, दक्षिण में – रितेश बाजपेयी का प्लॉट. भुगतान का प्रकार:– सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में RTGS/NEFT के माध्यम से एचडीएफसी, बैंक खाता सं. HHFLTDUPLKWLKNWA390, IFSC कोड:-HDFC0004989 में किया जाएगा।	24-04-2024	₹ 27,50,000/- / ₹ 2,75,000/- / ₹ 10,000/-

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें: –
1. संपत्ति को **"जैसा है, जहां है, जो कुछ भी है और बिना किसी दायित्व रहित"** आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत–बयान या चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और मापन अलग–अलग हो सकते हैं।
3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिए एक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ / उचित परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं।
4. नीलामी / बोली केवल वेबसाइट **https://bankauctions.in/** के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" या सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र** द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया को ई–नीलामी मंच द्वारा व्यवस्थित और समन्वयित करेगा।
5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद बोली लगाने वाले को सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार / सेवा प्रदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेतु तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोजर, 605ए, छठी मंजिल, मैत्रीवनम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अमीरपेट, हैदराबाद – 500038** (संपर्क व्यक्तिः श्री भारती राजू फोन नं. **8142000735**, श्री सुबाराव फोन नं. **8142000061** ईमेलः **subbarao@bankauctions.in**, ईमेल. **bharathi@bankauctions.in** से संपर्क कर सकते हैं। ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://bankauctions.in/** पर पहले से पंजीकृत कर लेना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें।
7. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में Demand Draft/NEFT/RTGS के माध्यम से आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10 प्रतिशत की वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) **20.06.2024** तक या उससे पहले जमा करना होगा।
8. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (**https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध प्रारूप), हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी / जी–2 / 2 एवं टीसी / जी–5 / 5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010 के प्राधिकृत अधिकारी को **20.06.2024** को सायं 05:00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में ईएमडी प्रेषण के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे के ऊपर श्री विनय कुमार शुक्ला एवं श्रीमती एकता सिंह की संपत्ति के लिए ऋण खाता सं. **UP/LKN/LUKN/A000001119** (जैसा कि ऊपर बताया गया है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली" लिखा जाना चाहिए।
9. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं के विवरण की पुष्टि करेगा (जिन्होंने आरक्षित मूल्य के ऊपर और ऊपर अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान सुरक्षित लेनदार) सेवा प्रदाता **मैसर्स 4 क्लोज़र** को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर केवल उन बोलीदाताओं को ऑनलाइन इंटर–से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सक्षम बनाता है।
10. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक "10" मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात ई–नीलामी का अंतिम समय स्वचालित रूप से प्रत्येक बार 10 मिनट तक बढ़ाया जाएगा यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर की जाती है।
11. एक बार की गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा अकेले की गई समझी जाएंगी।
12. ई–नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह क्षेत्रीय कार्यालय हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – द्वितीय तल, 212बी और 212सी, प्लॉट नं. टीसी / जी–2 / 2 एवं टीसी / जी–5 / 5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, यू.पी–226010 को और सेवा प्रदाता दोनों को ई–मेल द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा।
13. सफल बोलीदाता बिक्री के उसी दिन बोली राशि (ईएमडी सहित) का 25% और शेष बोली राशि का 75% DD/Pay order/NEFT/RTGS/Cheque द्वारा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करेगा।
14. सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि के भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
15. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में और समय दे सकता है।
16. सफल बोलीदाता टीडीएस (बिक्री से बाहर) के लिए बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और अधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करेगा और ईएमडी को समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस की ओर 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के 15 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले ऐसे अन्य विस्तारित समय के भीतर, जिसके गिरने पर बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
17. नगरपालिका / पंचायत कर, बिजली देय (यदि कोई हो) और किसी अन्य प्राधिकरण देय राशि (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले किया जाना है। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देय राशि को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जाएंगी।
18. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल संपूर्ण खरीद मूल्य / बोली राशि जमा करने और सभी करों / शुल्कों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।
19. कानूनी शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और किसी भी प्रकार के अन्य आकस्मिक प्रभार नीलामी खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा।
20. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही को स्थगित / रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री को बिक्री की निर्धारित तिथि से 30 दिन पहले बाद की तारीख में स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
21. अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है।
22. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनके द्वारा बाध्य होंगे।
23. अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी **श्री अरुण कुमार सिंह, मोबाइल नं. 9506011777 और श्री राहुल सिंह, मोबाइल नं. 9997535262** से संपर्क करें।
24. यह प्रकाशन प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उक्त ऋण खाते के ऋणी / बंधक / गारंटरों को उपरोक्त पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 दिनों का नोटिस भी है। –उल्लिखित तिथि / स्थान

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 01-06-2024

प्राधिकृत अधिकारी,
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश / सावधानीः अंतिम मिनट / सेकंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक / विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था / विकल्प जैसे बैक–अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में नम हवाओं ने लू से राहत दिलाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून।

देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री नम हवाओं से लू की तीव्रता कम हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं शनिवार को दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी चली। दिल्ली–एनसीआर, राजस्थान व हरियाणा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में शनिवार को तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।

मौसम विभाग ने बयान जारी कर कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो–तीन दिनों में कहीं–कहीं आंधी के साथ बारिश की संभावना है। इससे लू की तीव्रता में और कमी आएगी। पूर्वोत्तर व दक्षिण भारत में भी मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, उत्तर–पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी झारखंड में अलग–अलग इलाकों में शनिवार को तापमान 45–46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मौसम केंद्र के विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी भाग से असम तक विस्तारित द्रोणी के कारण उत्तरी भाग में आ रही नमी युक्त पुरवा हवाओं से राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन के तापमान में गिरावट आई है।

इसके परिणामस्वरूप लू की तीव्रता भी कमजोर हुई है। अब लू का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों व मध्यवर्ती हिस्से में कानपुर के आसपास तक सीमित हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी तीन–चार दिनों के दौरान प्रदेश में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। वहीं, अगले 24 घंटे के दौरान केरल सहित दक्षिण भारत उप–हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है।

कर्नाटक में बिल का भुगतान नहीं होने से परेशान ठेकेदार ने की आत्महत्या

दावणगेरे, 1 जून (भाषा)।

कर्नाटक में राज्य सरकार के एक निकाय के लिए किए गए काम के बिलों का भुगतान न होने के कारण एक ठेकेदार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, पीएस गौदर (48) नामक ठेकेदार ने 27 मई को आत्महत्या की और एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपने भाइयों सहित अपने परिवार के सदस्यों और कर्नाटक ग्रामीण अवसंरचना विकास लिमिटेड को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।
गौदर ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उसके परिवार के सदस्यों ने पैतृक संपत्ति के मामले को लेकर उसे मानसिक तनाव दिया। इसके अलावा, गौदर को चन्नागिरी तालुक के संतेबेन्नूर में कृषि विभाग के परिसर में उनके द्वारा पूरे किए गए कार्यों के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण भी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था। यह कार्य पिछले वर्ष केआरआईडीएल द्वारा उन्हें सौंपा गया था। ठेकेदार ने सुसाइड नोट में कहा कि दोनों ही मुद्दों ने कथित तौर पर उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया। हालांकि, पुलिस सत्यापन से पता चला है कि गौदर लाइसेंसधारी ठेकेदार नहीं थे। गौदर के सुसाइड नोट और उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर उनके परिवार के सदस्यों और केआरआईडीएल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की पीट–पीटकर हत्या

लातूर, 1 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के लातूर जिले में ग्रामीणों के एक समूह ने मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की कथित तौर पर पीट–पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 29 मई को लातूर के अहमदपुर तहसील के हाडोल्टी गांव में हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

मृतक दिलीप उर्फ विलास नागोराव कालगिरे मानसिक रूप से अस्थिर था और घटना वाले दिन उसने सड़क पर कुछ ग्रामीणों की पिटाई की तथा उनमें से एक को लोहे की राड से गंभीर रूप से घायल कर दिया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद 50 से 60 ग्रामीणों के एक समूह ने दिलीप को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई की, जिसके बाद उसे अहमदपुर के एक अस्पताल ले जाया गया और गुरुवार को लातूर के सरकारी अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

कांग्रेस ने की फडणवीस के बयान की आलोचना

मुंबई, 1 जून (भाषा)।

कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्तकर्ताओं की सूची में लगातार शीर्ष पर रहा है। साथ ही, कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान की आलोचना की जिममें उन्होंने कहा था कि महाविकास आघाडी (एमवीए) शासन में राज्य की रैंकिंग नीचे चली गई थी।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र को 2000–2012 के दौरान देश में संपूर्ण एफडीआइ का 33 फीसद हिस्सा मिला। सावंत ने कहा, 'अक्तूबर 2019 से जून 2022 तक एमवीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भी संपूर्ण एफडीआइ के संदर्भ में महाराष्ट्र पहले नंबर पर था।'